

भारत सरकार
रेल मंत्रालय
(रेलवे बोर्ड)

सं. 2015/टेली/11(2)/1

नई दिल्ली, दिनांक: 09/10/2015

टेलीकॉम परिपत्र सं. 11/2015

महाप्रबंधक,

सभी भारतीय रेलें, सभी उत्पादन इकाइयां, कोर/इलाहाबाद.

महानिदेशक/अ.अ.मा.सं. एवं भारतीय रेल राष्ट्रीय अकादमी (एनएआईआर), महानिरीक्षक/आरपीएसएफ,

मुख्य प्रशासनिक अधिकारी/कॉफमो, आईआरपीएमयू,

निदेशक/इरीसेट, इरीसेन, इरीन, इरिमी, इरिटेम, जेआरआरपीएफ अकादमी लखनऊ,

अध्यक्ष, रेलवे भर्ती बोर्ड.

विषय: एचएजी, एसएजी और एसजी/जेएजी अधिकारियों को सीयूजी कनेक्शन के संबंध में
3जी/4जी सेवा शुरू करना।


संदर्भ: i) बोर्ड का दिनांक 21.05.2012 का पत्र सं. 2010/टेली/11(2)/2 पार्ट.IV.

ii) बोर्ड का दिनांक 09.07.2015 का समसंख्यक पत्र.

बोर्ड के संदर्भाधीन पत्रों के क्रम में, बोर्ड (सदस्य बिजली) ने निम्नलिखित को अनुमोदित किया

है:-

- रेलवे/रेलवे बोर्ड/उत्पादन इकाइयां आदि के एचएजी, एसएजी और एसजी/जेएजी ग्रेड के अधिकारियों को उनके सीयूजी कनेक्शन के संबंध में 3जी/4जी सेवा सब्सक्राइब करने की अनुमति दी जाए।
- बोर्ड के दिनांक 07.06.2006 के पत्र सं. 2004/टेली/टीएन/3 के तहत निर्धारित वित्तीय सीमा के भीतर उनकी अपनी पसंद के अनुसार 3जी/4जी की सेवा मुहैया कराई जा सकती है। 3जी/4जी सेवा शुरू करने के लिए कोई अतिरिक्त वित्तीय निहितार्थ नहीं होगा और इसे केवल



o/c

मांग के आधार पर शुरू किया जाएगा। अतिरिक्त प्रभार स्वतः ही वेतन से काट लिए जाने चाहिए।

2. इसे रेल मंत्रालय के वित्त निदेशालय की सहमति से जारी किया जाता है।
3. कृपया पावती दें।



(हरीश पवारिया)

निदेशक/दूरसंचार

दूरभाष: 011-23388504, 030-44613

फैक्स: 011-23304690, 030-44690


ई मेल: dtele@rb.railnet.gov.in

सं. 2015/टेली/11(2)/1

नई दिल्ली, दिनांक: 09/10/2015

प्रतिलिपि प्रेषित:-

1. वित्त सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी, सभी भारतीय रेलें।
2. भारत के उप नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक (रेलें), कमरा नं. 224, रेल भवन, नई दिल्ली (46 अतिरिक्त प्रतियों सहित)।



कृते वित्त आयुक्त/रेलें.

प्रतिलिपि प्रेषित:-

1. वित्त (व्यय)।। एवं बजट शाखाएं, रेलवे बोर्ड।
2. सीएसटीई/सभी भारतीय रेलें।
3. प्रबंध निदेशक/ रेलटेल को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु।